तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर सीटी, द्वितीय जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 178 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता, पता ए रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.08.20 में उसके द्वारा (1) जोधपुर नगरीय सीमा(नगर निगम / जो वि प्राधिकरण) क्षेत्र में कितने महिला (गर्ल्स) छात्रावास व छात्र छात्रावास है, उसकी मात्र संख्या बताने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर शहर, द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं देकर पुरानी तारीख में बनाया पत्र समयावधि बाद अन्य लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 967 दिनांक 09.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 605 दिनांक 27.08.2020 अंतरित किया गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी भिजवाई गई। चूंकि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कलक्टर कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी को समयावधि में अन्तरण किया जा चुका है तथा प्रार्थी को भी इसकी जानकारी होते हुए संबंधित लोक सूचना अधिकारी (उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर) के विरूद्ध सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील पेश नहीं कर इस कार्यालय को अपील की गई। प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम[illegible] पश्चात् पूर्व तारीख में डिस्पेज कर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण किया [illegible]। अतः इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलार्थी [illegible] निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.12.08 14:22:45 IST
Reason: SelfAttested